न्यायालय लैण्ड रिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्याः– 33/2018 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांकः– 05.03.2018
निर्णय दिनांकः–25.06.2018

अनवानः–

1. गोविन्द पिता केशुलाल महाजन कुरज तहसील रेलमगरा
2. सुरेशचन्द्र पिता केशुलाल महाजन कुरज तहसील रेलमगरा
3. प्रहलाद पिता केशुलाल महाजन कुरज तहसील रेलमगरा
4. गिरीराज पिता मांगीलाल महाजन कुरज तहसील रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाली देवी पत्नि हजारीलाल कुम्हार कुरज तहसील रेलमगरा
2. शंकरी देवी पत्नि बालुराम लौहार कुरज तहसील रेलमगरा
3. भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि राजस्व ग्राम कुरज , पटवार हल्का कुरज तहसील रेलमगरा की सीमा मे प्रार्थीगण के स्वामित्व एव आधिपत्य की आराजी संख्या 841 रकबा 2–01 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है प्रार्थीगण के आराजी संख्या 841 के दक्षिण, पूर्व व पश्चिम दिशा मे विपक्षीगण की आराजी संख्या 842 ,843,849 स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात व विपक्षीगण की कृषि है न ही मौके पर कोई डोल, थोहर बाड इत्यादि है , जिसमे प्रार्थीगण एव विपक्षीगण के बीच सीमा संबधित विवाद, लडाई झगडा होते रहते है प्रार्थीगण ने विपक्षीगण द्वारा आये दिन सीमा संबधी विवाद करने से एवं अनाधिकार प्रार्थीगण की आराजीयात मे प्रवेश कर व प्रार्थीगण की आराजीयात को अपनी आराजी मे मिलाने के लिए प्रयासरत रहते है जिस कारण प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय रेलमगरा क यहां सीमा जानकारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार रेलमगरा ने पटवार हल्का को सीमा जानकारी करने बाबत् आदेश दिया जिस पर दिनांक 23/05/2017 को पटवार हल्का कुरज ने मौके पर पहुच प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमा जानकारी करवाई एव मौका पर्चा

2/

सहायक कलक्टर

बनवाया एव मोतबीरान के हस्ताक्षर करवाये। लेकिन विपक्षीगण पटवारी हल्का द्वारा बताई गई सीमा को नही मानकर जबरन प्रार्थीगण की आराजीयात मे थोहर बाड लगाकर विवाद कर रहा है। आये दिन प्रार्थीगण एव विपक्षीगण के बीच सीमा का विवाद रहता है जिस कारण दोनो के बीच भविष्य मे सीमा का विवाद नही रहे जिस कारण पटवारी हल्का द्वारा पत्थरगढी की कराई जाने की बात कही। क्योंकि दोनो आराजीयात के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह फेंसिंग एव स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण प्रार्थीगण को मजबूर होकर यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय मे प्रस्तुत करना पड रहा है वर्तमान खातेदार केशुलाल पिता पन्नालाल महाजन की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उनके वारिस प्रार्थीगण है जिनकी और से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रार्थीगण खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिस है विपक्षीगण द्वारा पटवार हल्का कुरज द्वारा सीमा जानकारी दिनांक 23/05/2017 को कराने के बावजुद भी नही मान रहे है जिस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतू उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कुरज मे स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 841 रकबा 2–01 बीघा भूमि के दक्षिण, पूर्व व पश्चिम दिशा मे विपक्षीगण की आराजी संख्या 842 ,843,849 के बीच पत्थर गढी कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। तहसीलदार महोदय रेलमगरा को कमीश्नर मुकर्रर कर फरमाया जाकर उक्त आदेश की पालना कराई जावे। खर्चा कमीश्नर प्रार्थी वहन करने का तैयार है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहे पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प कूरज पर रखी गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण, बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता को सूना गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम कूरज की आराजी संख्या 841 रकबा 2–01 बिघा के दक्षिण–पूर्व व पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 842,843,849 के बीच पत्थर गढ़ी किया जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थर गढ़ी की जावें। वक्त पत्थर गढ़ी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 500 रूपये अदा करे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को कैम्प कूरज में सूनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा